## <u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बड्वानी</u> (समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्')

### आपराधिक प्रकरण क्रमांक 60 / 2012 संस्थित दिनांक 27.02.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

- अभियोगी

### वि रू द्व

सोहनलाल पिता भारमल, उम्र 35 वर्ष, निवासी शांति नगर जामली, थाना बड़गोंदा, op डोंगरगांव (महू)

अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ **– श्री अकरम मंसूरी** अभियुक्त द्वारा अभिभाषक **– श्री जे.पी.गुप्ता** 

## -: <u>निर्णय</u>:-

# (आज दिनांक 20-02-2017) को घोषित)

- 01— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 18 / 2012 के आधार पर आरोपी के विरूद्ध दिनांक 10.02.2012 को दिन के 02.20 बजे दवाना से 2 किलो मीटर आगे, लोक मार्ग पर वाहन द्रक क्रमांक एम.पी.46 एच. 0722 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर भास्कर राव का जीवन संकटापन्न होना संभव बनाकर उसे टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के आधार पर, भादवि की धारा 304—ए का अभियोग है।
- 02— प्रकरण में एकमात्र स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा बचाव पक्ष की ओर से वाहन क. एम.पी 46 एच. 0722 की मेकेनिकल जॉच रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 भी स्वीकार की है।
- 03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.02.2012 को सूचनाकर्ता जगदीश पिता देवीसिंह द्वारा थाना ठीकरी पर इस आशय की सूचना दी कि आज वह तथा उसका साथी मनीष मोटरसाईकल से तलवाडा से वापस दवाना जा रहे थे तबी करीब 2:20 बजे नरेन्द्र मालवीय के खेत पास उसके आगे एक मोटरसाईकिल क. एम. पी 46 बी.ए 1054 पर एक व्यक्ति दवाना तरफ आ रहा था तभी उसके पीछे से एक द्रक क. एम.पी. 46 एच 0722 का चालक द्रक को तेज गित एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर उसकी मोटरसाईकि को कास कर आगे निकला व उसके आगे चल रही मोटरसाईकिल क. एमकृपी. 46 बी.ए. 1054 को टक्कर मारी जिससे मोटरसाईकिल पर

सवार व्यक्ति बुरी तरह रोड पर गिरा तथा उसके सिर पर द्रक का पिहया फिरने से पूरा सिर कुचला गया तथा उसके शरीर पर भी चोटें आई। उन्होंने द्रक को रोकने का प्रयास किया किंतु वह ठीकरी तरफ भगा ले गया, टक्कर लगने वाले मोटरसाईकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई वह भास्करराव शर्मा मास्टर पहचान में आया, वे रणगांव पंचा के निवासी है उक्त सूचना पर से पीरचन्द चौधरी प्रधान आरक्षक द्वारा देहांती नालसी प्रदर्श पी 1 दर्ज कर उसके आधार पर थाने पर प्रधान आरक्षक आशीष पण्डित द्वारा अपराध दर्ज कर, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त को भादिव की धारा 304—ए के अंतर्गत अभियोग पत्र विरचित कर उसकी विशिष्ठियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :--

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.02.2012 को दिन के 02.20 बजे दवाना से 2 किलोमीटर आगे, लोक मार्ग पर वाहन द्रक क्रमांक एम.पी.46 एच. 0722 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर भास्कर राव का जीवन संकटापन्न होना संभव बनाकर उसे टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

## विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष -

उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में जगदीश (अ.सा.1) का कथन है कि घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व की है। घटना वाले दिन वह तथा मनीष ग्राम तलवाडा से ग्राम दवाना की ओर मोटरसाईकिल से आ रहे थे, मोटरसाईकिल मनीष चला रहा था, दवाना के रहने वाले भास्कर राव शर्मा अपनी मोटरसाईकिल से दवाना की ओर जा रहे थे तभी दवाना की ओर जा रहे द्रक क. एम.पी. 46 एच. 0722 ने भस्करराव की मोटरसाईकिल को ओवरटेक करते हुए उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने वाला द्रक पीछे से तेज गति से निकला था। दुर्घटना में भास्करराव को चोटें आई थी भास्कर राव की घटना स्थल पर ही मृत्य हो गई थी। उसने थाना ठीकरी पर देहांती नालसी प्रदर्श पी 1 दर्ज कराई थी। टक्कर मारने वाले द्रक का चालक द्रक कां तेज गति से घटना स्थल से भगाकर ले गया था इस कारण वह उसके चालक को नहीं देख पाया था तथा सामने आने पर भी उसे नहीं पहचान सकता है। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि द्रक का चालक द्रक को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया इस कारण भास्करराव की मोटरसाईकिल को टक्कर लग गई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह भास्करराव की मोटरसाईकिल से

70—75 फीट पीछे चल रहा था तथा दवाना ठीकरी रोड काफी चौडा होकर दो वाहन आसानी से निकल सकते है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर आसपास के कृषक एवं अन्य व्यक्ति भी दौडकर आ गये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि क्लेम प्रकरण में उसे अधिवक्ता द्वारा द्रक का क्रमांक बताया गया था। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वह पढ़ा—लिखा है, द्रक का क्रमांक उसे मालूम है। साक्षी ने इंकार किया है कि उक्त द्रक क्र. एम.पी. 46 एच. 0722 से दुर्घटना कोई नहीं हुई थी। सक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह मृतक भास्करराव से परिचित है तथा अधिवक्ता के बताये जाने पर द्रक का नम्बर बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने कोई दुर्घटना नहीं देखी।

मनीष (अ.सा.३) ने भी जगदीश (अ.सा.१) के कथन का समर्थन कर अपनी मोटरसाईकिल से जगदीश के साथ ग्राम तलवाडा से दवाना जाने और भास्करराव को उसकी मोटरसाईकिल से आगे जाने के संबंध में कथन किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पीछे से आ रही द्वक क. एम.पी. 46 एच. 0722 के चालक ने तेजी से आगे जाकर भास्करराव की मोटरसाईकिल को टककर मार दी जिससे भास्करराव की मौके पर ही मृत्यु हो गई, द्रक को उन्होंने रोकने का प्रयास किया किंतू द्रक तेज गति से भाग निकला। साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस ने भास्करराव की लाश का सफीना फार्म एवं मृतक की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 2 एवं 3 बनाया था जिसके बी से बी भागो पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने भारकरराव की मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी 5 पर भी सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अभियोजन की ओर से पूछे जाने पर इस सुझाव को स्वीकार किया है कि द्वक का चालक द्वक को लापरवाही पूर्वक से चला रहा था इस कारण भास्करराव की मोटरसाईकिल को टककर लगी थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह भारकरराव की मोटरसाईकिल से लगभग 60 फीट पीछे चल रहा था। द्रक उसके पीछे से तेज गति से आया और उसे कास करने के बाद भास्कर राव को टक्कर मार दी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना स्थल रोड काफी चौडा है और दो वाहन आसानी से आ–जा सकते है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि साक्षी द्रक धीमी गति से चल रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि भास्कर उसका परिचित है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि भास्करराव और उसके परिवार के अच्छे संबंध होने के कारण वह अभियुक्त के विरूद्ध असत्य कथन कर रहा है।

08— धीरज शर्मा (अ.सा.2), राकेश (अ.सा.4), राहूल (अ.सा.6), ले भारकरराव की दूर्घटना में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर आर सफीना फार्म प्रदर्श पी 2, नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 3 पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथनकिये है। धीरज शर्मा (अ.सा.2) ने नक्शा मौका प्रदर्श पी प्रदर्श पी 3 पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये है। धीरज शर्मा (अ.सा.2)ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछ जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है,कि घटना स्थल पर जगदीश ने द्क क. एम.पी. 46 एच. 0722 बताया था, लेकिन साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब वे लोग घर पर बैठने के लिए आये थे उस समय

उन्होंने उसे द्रक का क. एम.पी. 46 एच. 0722 बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर सड़क काफी चौडी होकर दो वाहन आसानी से निकल सकते है। राकेश (अ.सा.4) ने मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी 6 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

09— रामिकशोर (अ.सा.5) ने दो वर्ष पहले दुर्घटना में भास्करराव की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के संबंध में कथन किये है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 10.02.12 को दोपहर 2:20 बजे जब वह अपने खेत पर था तब अंजड की ओर से आ रहे द्रक क. एम.पी. 46 एच. 0722 का चालक द्रक को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल क. एम. पी. 46 बी.ए. 1054 को टक्कर मार दी। यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी 6 का कथन देने से भी इंकार किया है। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी तथा उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी।

के आर. भालसे (अ.सा.७) ने दिनांक 10.02.12 को थाना ठीकरी में 10-फरियादी जगदीश की रिपोर्ट के आधार पर द्रक क. एम.पी. 46 एच. 0722 के चालक के विरूद्ध प्रदर्श पी 1 की देहांती नालसी दर्ज कराने और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये है। साक्षी ने सफीना फार्म प्रदर्श पी 2, लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 3 बनाने और उसके ई से ई भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी का यह भी कथन है कि फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लिखे थे तथा मोटरसाईकिल एम.पी. 46 बी.ए. 1054 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी 5 बनाया था। उसने इस दिनांक को दुर्घटना कारित करने वाले द्रक को ठीकरी चोपाटी से प्रदर्श पी 7 के अनुसार जप्त किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने घटना स्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्श पी 4 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी को गिरफ्तार करके आरोपी से उक्त द्रक के दस्तावेज आरोपी की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श पी 8 के अनुसार जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लिखे नहीं गये अथवा साक्षीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे।

11— डॉ. डी.एस. चौहान (अ.सा.८) ने दिनांक 10.02.12 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र ठीकरी में मृतक भास्करराव के शव का परीक्षण कर उसकी मृत्यु दुर्घटना स्वरूप की परीक्षण के 6 घंटे के भीतर की होना बताया और अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 10 भी प्रमाणित किया है।

12— रीतेश (अ.सा.9) का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। वर्ष 2012 में उसके पास द्रक क. एम.पी. 46 एच. 0722 थी उक्त वाहन से कोई भी दुर्घटना नहीं हुई थी उसके पास अप्पू पटेल का फोन आया था तथा उसने बताया कि उसके द्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से प्रदर्श पी 8 के अनुसार दस्तावेज जप्त किये थे और उसने थाना ठीकरी पर प्रदर्श पी 10 का जमानतनामा दिया था। उसने न्यायालय से वाहन सुपूर्दगी पर प्राप्त

किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 8 एवं प्रदर्श पी 10 पर हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर किये थे। उसने उक्त दस्तावेज पढ़े नहीं थे। अभियोजन की ओर से पुनः परीक्षण करने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करता है।

13— इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त द्रक क. एम.पी. 46 एच. 0722 को लोक मार्ग पर तेज गित एवं लापरवाहीपूर्वक तरीके से चलाकर भास्करराव को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है। यहां तक कि चश्मदीद साक्षी जगदीश (अ.सा.1), मनीष (अ.सा.3) ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक को नहीं देखा था, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने ही घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन द्रक क. एम.पी. 46 एच. 0722 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर भास्करराव को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित हुई की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

14— अतः उपरोक्तानुसार अभियोजन अपनी ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य व उसके विवेचन से आरोपी के विरूद्ध भादिव की धारा 304—ए का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त सोहनलाल पिता भारमल, उम्र 35 वर्ष, निवासी शांति नगर जामली, थाना बड़गोंदा, op डोंगरगांव (महू) भादिव की धारा 304—ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

15— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा द्रक क्रमांक एमपी—46—एच—0722 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी / सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उसी के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही— (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र. -सही-(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला बडवानी, म.प्र.